

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.28(जन/विविध/अनु-3/डी - 1999


दिनांक :- 8-12-09



कार्यालय आदेश

सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राप्त हो रही निविदाओं की दरों का बाजार दरों के संदर्भ में आंकलन हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.28 (जन/विविध)/अनु-3/डी 1981 दिनांक 01.12.2009 में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया जाता है कि विभाग में प्राप्त होने वाली रूपये 150 लाख व अधिक राशि की निविदाओं के साथ संवेदको को रेट एनेलिसिस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः उक्त निर्णय की अनुपालना हेतु आवश्यक निर्देश सभी कार्यों के निविदा प्रपत्रों की Special Conditions में सम्मिलित किये जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।



Handwritten signature
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :- एफ.28(जन/विविध/अनु-3/डी

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,सा.नि.वि.राज.जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।
3. शासन सचिव,सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(भवन)/एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई/एस.एस. सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी(एन.एच.) सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुरं
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(समस्त).....सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता,(समस्त)..... सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता,(समस्त)..... सा.नि.वि.राजस्थान,जयपुर।

40

Copy all FES for Compliance

Handwritten signature
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा.नि.वि.,राजस्थान,,जयपुर

Handwritten signature
Superior
P.W.D. (NH) Engineer
Circle Kota

1A